न्यायालय– न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर, (म.प्र.)
(समक्ष– किशन देव सिंह पटेल)

आपराधिक प्रकरण कं.– 2212472 / 2015
फाइलिंग संख्या–20194 / 2015
सी.एन.आर. नं.–MP2001–012951–2015
संस्थित दिनांक–18.09.2015

(अभियुक्तगण एवं पुलिस थाने का विवरण)

परिवादी	म.प्र. राज्य द्वारा प्रभारी अधिकारी, आरक्षी केन्द्र **ओमती**, जिला जबलपुर (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री सचिन गुर्जर, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्तगण	**1. प्रियंक कुमार परदेशी**, पिता– विलास कुमार परदेशी, आयु लगभग 39 वर्ष, निवासी– शंकर शाह नगर, अशोक विहार, थाना– गोरखपुर, जिला– जबलपुर (म.प्र.) **2. दिलीप गुलवानी**, पिता– खुशीराम गुलवानी, आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी– समाधिया कालोनी तारागंज, अशोक विहार, जिला– ग्वालियर (म.प्र.) **(फौत)** **3. रिंकू उर्फ जितेन्द्र कुमार मेहता**, पिता– ज्ञान चन्द्र मेहता, आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी– 3431 थर्ड फ्लोर राजा पार्क सकूर बस्ती, थाना– रानीबाग, दिल्ली **4. तौफीक इस्माइल**, पिता– इस्माइल वली, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी– 3910 गली जगत सिनेमा, जामा मस्जिद, थाना– जामा मस्जिद, सेन्ट्रल दिल्ली
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री सी0पी0 द्विवेदी एवं श्री संजय रजक अधिवक्ता

पुलिस थाना– **ओमती,** तहसील व जिला– जबलपुर के अपराध कमांक– **432 / 15** अपराध अंतर्गत धारा– कॉपीराईट अधिनियम की धारा 63, 68 जो धारा 63, 38 के तहत दंडनीय है, सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम की धारा 65, सिनेमाग्राफी अधिनियम की धारा 7 एवं धारा 120 बी भा.दं.सं. से उद्भूत प्रकरण।

::|| निर्णय ||::

(आज दिनांक 28.11.2025 को घोषित)

01. अभियुक्तगण **प्रियंक कुमार परदेशी**, **दिलीप गुलवानी**, **रिंकू उर्फ जितेन्द्र कुमार मेहता** एवं **तौफीक इस्माइल** पर कॉपीराईट अधिनियम की धारा 63, 68 जो धारा 63, 38 के तहत दंडनीय है, सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम की धारा 65, सिनेमाग्राफी अधिनियम की धारा 7 एवं धारा 120 बी भा.दं.सं. के तहत आरोप है कि अभियुक्तगण ने दिनांक– 10.07.2015 के पूर्व एक अनाधिकृत रूप से वेबसाईट http://www.tellytorents.com बनाकर उसमें उन फिल्मों को अपलोड कर जो प्रातिलिप्याधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदर्शन हेतु बिना अनुमति के अवैध है, को विभिन्न शहरों में अपने सहयोगियों के माध्यम से अवैध कार्य, अवैध संसाधनों से करवाते हुये अपने वेबसाईट पर सामान्य जनता के लिये अपलोड किया। कम्प्यूटर, मोबाइल तथा फ्लापी से http://www.tellytorents.com के द्वारा लिंक दिलीप, राहुल, विक्रयमजीत को उपलब्ध कराया। कम्प्यूटर कार्यक्रम, कम्प्यूटर प्रणाली नेटवर्क में छेडछाड कर अवैध रूप से FTP वेबसाईट का निर्माण कर उसमें अवैध रूप से फिल्म को अपलोड किया। बेवसाईट पर फिल्म प्रदर्शन किये जाने हेतु विधिक रूप से बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त किये फिल्मों का प्रदर्शन किया। अवैध कार्य को अवैध साधनों से रूपये प्राप्त करने के उद्देश्य से सहमत होते हुये आपराधिक षड्यंत्र कारित किया।

02. प्रकरण में यह उल्लेखनीय तथ्य है कि **अभियुक्त दिलीप गुलवानी की मृत्यु** होने से उक्त अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की गई है।

03. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता/आवेदक अश्विनी गुप्ता, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर ए0ए0 फिल्म तथा मनोज कुमार मैनेजर समदडिया इरा सिनेमा ओमती से प्राप्त लिखित आवेदन पत्र की जांच तथा थाना के अपराध क्रं. 420/15 की विवेचना दौरान उक्त मामले के आरोपी प्रियंक परदेशी के सर्वर, कम्प्यूटर तथा मोबाईल को चेक किये जाने पर सर्वर में बजरंगी भाईजान एवं बाहुबली जैसी 1243 फिल्में एवं वीडियों लोड पाये। जिस आधार पर आरोपी का मेमोरेंडम कथन लेख किया गया जिसमें बताया गया कि उसके द्वारा टेली टोरेंस, देशी क्रूज आदि वेबसाईट स्वयं द्वारा निर्मित की गई हैं, जिस पर वह अवैध लाभ अर्जन की

दृष्टि से सिनेमा जगत से रिलीज होने वाली नई–नई फिल्मों को अपलोड करता है और इन साईटों से पिक्चर अपलोड करने वालों को एक निश्चित राशि का भुगतान करना पडता है जो payumoney एवं paypal के माध्यम से प्रियंक परदेशी के खाते में राशि जमा होती थी। प्रियंक परदेशी से पूछतांछ में बताया कि उसके इस काम में अन्य कई सहयोगी हैं जो पिक्चर हाल से रिलीज होते ही फिल्म को कैमरों के माध्यम से पिक्चर सूट कर पायरेटिक मूवी तैयार करते है तथा पायरेटिक मूवी तैयार कर देश–विदेश में मंहगी कीमत पर बेच देते हैं। आरोपी के कम्प्यूटर सर्वर FTP लिंक तथा मेमोरेंडम के आधार पर उसके साथ काम करने वाले सहयोगियों दिलीप गुलवानी ग्वालियर, राहुल मेहता दिल्ली, रिंकू उर्फ जितेन्द्र दिल्ली, मो. फैजल दिल्ली, विक्रमजीत सिंह पंजाब, अमन भोपाल, आदित्य राज नई दिल्ली, लिंगा राजेन्द्र चेन्नई, खान साहब फ्रांस, टोनी कैमरामैन गाजियाबाद के नाम सामने आये। उपरोक्त आधार एवं मनेन्द्र बाबू द्वारा तेलगू फिल्म चेम्बर्स हैदराबाद से प्राप्त शिकायतों के आधार पर उपरोक्त आरोपियों के विरूद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना आरोपी प्रियंक परदेशी के मेमोरेंडम के आधार पर व उसकी निशादेही पर आरोपी दिलीप गुलवानी ग्वालियर, रिन्कू उर्फ जितेन्द्र मेहता, तौफीक को इस अपराध में प्रयुक्त कार्य करते हुये तथा पायरेटिक मूवी तैयार करने में प्रयुक्त कम्प्यूटर, डेस्कटाप, मोबाईल फोन, नेट कनेक्टर, राउटर, वीडियों कैमरा, डी0वी0डी0 इत्यादि चीजें आरोपीगण के मेमोरेंडम कथन के आधार पर जप्त की गई। दौरान जप्ती कम्प्यूटर, लैपटॉप पर पायरेटिक मूवी लोड पाई गई थी। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र क्रं. 395/15 तैयार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

04. अभियुक्तगण पर कॉपीराईट अधिनियम की धारा 63, 68 जो धारा 63, 38 के तहत दंडनीय है, सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम की धारा 65, सिनेमाग्राफी अधिनियम की धारा 7 एवं धारा 120 बी भा.दं.सं. के अधीन आरोप निर्मित कर अभियुक्त को समझाये एवं सुनाये गये थे। अतः कॉपीराईट अधिनियम की धारा 63, 68 जो धारा 63, 38 के तहत दंडनीय है, सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम की धारा 65, सिनेमाग्राफी अधिनियम की धारा 7 एवं धारा 120 बी भा.दं.सं. के संबंध में विचारण किया जा रहा है। धारा 313 द. प्रसं. के तहत परीक्षण किए जाने पर अभियुक्तगण ने स्वयं को झूंठा फंसाना व्यक्त करते हुए निर्दोष होना बताया परंतु बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं की।

05. **<u>प्रकरण में प्रमुख विचारणीय प्रश्न यह है कि:–</u>**

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक– 10.07.2015 के पूर्व एक अनाधिकृत रूप से वेबसाईट http://www.tellytorents.com बनाकर उसमें उन फिल्मों को अपलोड कर जो प्रातिलिप्याधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदर्शन हेतु बिना अनुमति के अवैध है, को विभिन्न शहरों में अपने सहयोगियों के माध्यम से अवैध कार्य, अवैध संसाधनों से करवाते हुये अपने वेबसाईट पर सामान्य जनता के लिये अपलोड किया ?

2. क्या अभियुक्तगण ने कम्प्यूटर, मोबाइल तथा फ्लापी से http://www.tellytorents.com के द्वारा लिंक अन्य आरोपीगण को उपलब्ध कराया ?

3. क्या अभियुक्तगण ने कम्प्यूटर कार्यक्रम, कम्प्यूटर प्रणाली नेटवर्क में छेडछाड कर अवैध रूप से FTP वेबसाईट का निर्माण कर उसमें अवैध रूप से फिल्म को अपलोड किया ?

4. क्या अभियुक्तगण ने वेबसाईट पर फिल्म प्रदर्शन किये जाने हेतु विधिक रूप से बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त किये फिल्मों का प्रदर्शन किया ?

5. क्या अभियुक्तगण ने अवैध कार्य को अवैध साधनों से रूपये प्राप्त करने के उद्देश्य से सहमत होते हुये आपराधिक षड्यंत्र कारित किया ?

।। <u>सकारण निष्कर्ष</u> ।।

06. विचारणीय प्रश्न कं.–1 लगायत 5 परस्पर अंतर्मिश्रित होने एवं तथ्यों के दोहराव को रोकने हेतु एक साथ निराकरण किया जा रहा है। उक्त के संबंध में साक्षीगण राजकुमार अ0सा01, मणिन्द्र बाबू अ0सा02, मनोज कुमार अ0सा03, अश्विनी गुप्ता अ0सा04 एवं नरेन्द्र मिश्रा अ0सा05 को परीक्षित कराया गया है।

07. अ0सा01 राजकुमार ने अभिलेख पर न्यायालयीन साक्ष्य के दौरान व्यक्त किया है कि वह तेलगु फिल्म चेम्बर आफ कामर्स हैदराबाद में एन टी वीडियो पायरेसी सेल का चेयरमेन है। उसे फिल्मों की पायरेसी होने से रोकने के लिये अधिकृत किया गया है। दिनांक 10.07.2015 को एक फिल्म बाहुबली अलग–अलग भाषाओं में रिलीज हुई थी जिसके निर्माता हैदराबाद से है जोकि तेलगु फिल्म चेम्बर आफ कामर्स हैदाराबाद इसके

मेम्बर है। एन टी वीडियो पायरेसी सेल में एक विभाग है जो आनलाईन पायरेसी के उपर लगातार छानबीन करती है तथा वेबसाईट जो पायरेसी फिल्म को छापते है उनकी जानकारी एकत्रित करना विभाग का काम है। दिनांक 10.07.2015 को जिस दिन बाहुबली फिल्म रिलीज हुई थी। उक्त विभाग ने यह पाया कि उक्त फिल्म कुछ वेबसाईट टेलीटोरेंस, टेली टी एन डी व अन्य वेबसाईट पर आ चुकी थी। उसके पश्चात् जब सेल उक्त वेबसाईट के स्वामी के संबंध में जानकारी एकत्रित की तो उन्होने पाया कि प्रियंक परदेशी नामक व्यक्ति इन वेबसाईट को संचालित करता है तथा प्रियंक का एक फेसबुक प्रोफाईल भी है जिससे पायरेटेड फिल्म के संबंध में पोस्ट डाले है। प्रियंक द्वारा अपने स्वयं की फेसबुक की प्रोफाईल में पारिवारिक कार्यक्रम के संबंध में एक निमंत्रण कार्ड लोड किया था जिसमें निवास स्थान का पता अंकित था, उक्त से साक्षी को प्रियंक के निवास स्थान के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी। उसके पश्चात् उसके द्वारा जबलपुर शहर के बाहुबली फिल्म के डिस्टीब्यूटर के प्रतिनिधि अश्विनी गुप्ता एवं समदडिया सिनेमा के मैनेजर मनोज कुमार से संपर्क किया और उन्हें जानकारी से सूचित किया जिनसे भी पायरेटेड फिल्म के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई।

08. अ0सा01 ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे व्यक्त किया कि वह अपनी टीम मेम्बर मणिन्द्र बाबू के साथ मिलकर जबलपुर आया और मणिन्द्र बाबू के माध्यम से एक शिकायत पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष पेश की थी। जबलपुर शहर के बाहुबली फिल्म के डिस्टीब्यूटर के प्रतिनिधि अश्विनी गुप्ता एवं समदडिया सिनेमा के मैनेजर मनोज कुमार के द्वारा भी पृथक से शिकायत की गई थी। शिकायत की जांच हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय ने टीम गठित कर प्रियंक परदेशी के पते पर भेजी थी। पुलिस ने जब प्रियंक परदेशी को गिरफ्तार किया था तो प्रियंक परदेशी द्वारा यह बताया गया था कि अन्य व्यक्ति भी इस कार्य में शामिल हैं जिनके नाम राहुल, दिलीप बताये थे इन व्यक्तियों का कार्य क्षेत्र दिल्ली, गाजियाबाद, भोपाल, पंजाब, चंडीगढ, चेन्नई, श्रीलंका एवं फ्रांस में भी उनके नेटवर्क होना बताया था जिनमें से कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया था। जब साक्षी जबलपुर दो दिन बाद पहुंचा तब तक बाहुबली फिल्म के पायरेट कापी दो लाख पच्चीस हजार डाउनलोड की जा चुकी थी जिससे फिल्म निर्माता को करोडो का नुकसान हुआ था। इसके अतिरिक्त भी टैलीटोरेंस वेबसाईट में सैकडों फिल्म की आनलाईन कापी पाई गई थी। पुलिस ने उक्त संबंध में उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

09. अ0सा02 मणिन्द्र बाबू ने अभिलेख पर न्यायालयीन साक्ष्य के दौरान व्यक्त किया है कि वह तेलगू फिल्म चेम्बर आफ कामर्स में सायवर एक्सीक्यूटिव एंटी वीडियो पायरेसी सेल में पदस्थ है। उसका मुख्य कार्य फिल्मों की अवैध पायरेसी न होने के लिये अधिकृत किया गया है। इस कार्य के लिये वह उन बेबसाईड एवं माध्यमों को चेक करता रहता है जोकि फिल्मों की पायरेसी कर अवैध रूप से अपलोड करते है। इस संबंध में उसके द्वारा दिनांक 10.07.2015 को जिस दिन बाहुबली फिल्म रिलीज हुई थी उसी दिन टेलीटोरेंस बेबसाईड में फिल्म अपलोड की गई थी। उक्त फिल्म प्रियंक परदेशी द्वारा लोड की गई थी। जिस व्यक्ति के द्वारा कोई फिल्म लोड की जाती है उसका पेमेंट गेटवे, मेल आईडी एवं नाम रहता है जिसमें प्रियंक परदेशी का नाम दिख रहा था। जिस दिन उक्त संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी उसी दिन जबलपुर के लोकल डिस्टीब्यूटर अश्विनी गुप्ता से बात की गई थी और उसके बाद वह जबलपुर आया था तथा उसके द्वारा एसपी महोदय को शिकायत की गई थी। उक्त शिकायत आवेदन प्र0पी01 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जब उसके द्वारा शिकायत की गई थी उस समय उसे सिर्फ प्रियंक परदेशी का नाम पता था बाद में प्रियंक परदेशी के द्वारा कुछ अन्य व्यक्तियों के नाम भी बताये गये थे। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

10. अ0सा03 मनोज कुमार ने अभिलेख पर न्यायालयीन साक्ष्य के दौरान व्यक्त किया है कि वह समदडिया ऐरा सिनेमा में मैनेजर के पद पर विगत 7 वर्षों से कार्यरत है। उसे वर्ष 2015 में बाहुबली फिल्म रिलीज होने के दूसरे दिन मिस्टर राजकुमार अकेला ने फोन करके बताया था कि जबलपुर के किसी सिनेमा घर से बाहुबली फिल्म का तेलगु भाषा का पायरेटेट वर्जन इंटरनेट पर डाला गया है। उस समय बाहुबली फिल्म तेलुगू भाषा में सिर्फ उनके सिनेमाघर में ही प्रदर्शित हो रही थी। उसके दो दिन पश्चात् राजकुमार अकेला, टेक्नीशियन मणिन्द्र बाबू एवं उनके एक अधिवक्ता सत्य बेनर्जी जबलपुर आये और उनके द्वारा बताया गया कि बाहुबली फिल्म आपके सिनेमाघर से पायरेट नहीं हुई है किसी अन्य जगह से पायरेट की गई है। उसने द्वारा यह भी बताया गया था कि उक्त फिल्म जबलपुर से क्रय किये गये किसी सिस्टम से किसी व्यक्ति के द्वारा अपलोड की गई है। उनके द्वारा बताया गया था कि किसी प्रियंक परदेशी नामक व्यक्ति द्वारा फिल्म अपलोड की गई है। उक्त संबंध में कार्यवाही किये जाने के लिये उसके द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर को आवेदन दिया गया था जो प्र0पी02 है जो0 4 पृष्ठों में है, जिसके प्रत्येक पृष्ठ के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर

हैं।

11. अ0सा04 अश्विनी गुप्ता ने अभिलेख पर न्यायालयीन साक्ष्य के दौरान व्यक्त किया है कि वह हाजिर अदालत आरोपी प्रियंक तथा दिलीप, रिंकू और तौफीक को नहीं जानता। उसके बयान दिनांक से लगभग चार से पांच वर्ष पूर्व समदडिया मॉल में धनलक्ष्मी पिक्चर्स अमरावती का फिल्म प्रतिनिधि के रूप में काम करता था। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसकी कंपनी के हेड ने उसे कुछ दस्तावेजों में हस्ताक्षर करने के लिये कहा तो उसने हस्ताक्षर किये परंतु उसे बयान दिनांक को नहीं पता वो कौन से दस्तावेज थे जिनमें उसने हस्ताक्षर किये। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने व्यक्त किया है कि यह कहना गलत है कि दिनांक 11.07.2015 को कंपनी द्वारा उसे बताया गया था कि बाहुबली फिल्म नेट पर उपलब्ध है इसकी पायरेसी हुई है। यह कहना गलत है कि कंपनी से लोग मनी और सत्या ने उसे उक्त जानकारी दी थी। यह कहना सही है कि वह उस समय फिल्म उद्योग का डिस्ट्रीब्यूटर था। यह कहना सही है कि यदि किसी फिल्म की पायरेसी कर फिल्मों को नेट पर डाउनलोड कर दिया जाता है उससे व्यापार को नुकसान होता है। यह कहना गलत है कि सत्या और मनी ने उसे बताया था कि प्रियंक परदेशी नाम का व्यक्ति जो जबलपुर का निवासी है, वह इंटरनेट पर इस तरफ का पायरेसी कर फिल्म को नेट पर डाउनलोड करता है। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्र0पी03 का ए से ए तथा बी से बी भाग पढकर सुनाये जाने पर साक्षी ने ऐसे कथन पुलिस को देने से इंकार किया। यह कहना गलत है कि वह आरोपी से मिल गया है इसलिये न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा है।

12. अ0सा05 नरेन्द्र मिश्रा ने अभिलेख पर न्यायालयीन साक्ष्य के दौरान व्यक्त किया है कि वह अभियुक्तगण प्रियांक, दिलीप, रिंकू और तौफीक को नहीं जानता पहचानता। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसके समक्ष अभियुक्त रिंकू से कोई पूछताछ नहीं की थी न ही अभियुक्त रिंकू उर्फ जितेन्द्र से उसके सामने कोई चीज की जप्ती की थी किंतु जप्ती पत्रक प्र0पी05 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त रिंकू से पुलिस द्वारा पूछताछ कर जो धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेंडम कथन प्र0पी04 लेख किया था उसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक

प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने व्यक्त किया है कि यह कहना गलत है कि दिनांक 25.07.2015 को पुलिस द्वारा आरोपी रिंकू उर्फ जितेन्द्र मेहता को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की थी। यह कहना गलत है कि पूछताछ के दौरान उक्त आरोपी ने मेमोरेंडम कथन प्र0पी04 का बी से बी भाग ''इसके ....जप्त करा देता हूं'' दिये थे। यह कहना गलत है कि मेमोरेंडम कथन के आधार पर पुलिस द्वारा उसके समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक प्र0पी05 की चीजें जप्त की थी। यह कहना गलत है कि वह अभियुक्तगण को बचाने के लिये न्यायालय में झूठे कथन कर रहा है।

13. विचारणीय प्रश्न के संबंध में अ0सा01, अ0सा02 एवं अ0सा03 द्वारा एक–दूसरे के कथनों का समर्थन करते हुये यह व्यक्त किया गया है कि बाहुबली फिल्म का टेलीटोरेंट्स बेवसाईट के माध्यम से पायरेटेड कर अवैध रूप से विक्रय कर लाभ अर्जित किया गया। इस संबंध में यह अखंडित तथ्य है कि बाहुबली फिल्म का कॉपीराईट एवं अवैध अपलोड किया गया। जहां तक उक्त कृत्य आरोपी प्रियंक परदेशी एवं अन्य आरोपीगण के द्वारा किये जाने का प्रश्न है। इस संबंध में मणिन्द्र बाबू अ0सा02 द्वारा व्यक्त किया गया कि उक्त फिल्म प्रियंक परदेशी के द्वारा अपलोड की गई थी, जिस व्यक्ति के द्वारा फिल्म अपलोड की जाती है उसका पेमेंट गेटवे, मेल आईडी एवं नाम रहता है जिसमें प्रियंक परदेशी का नाम दिख रहा था। प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्र.3 में साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि यह कहना सही है कि उसने प्रियंक परदेशी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के नाम से शिकायत नहीं की थी, वह तौफीक एवं जितेन्द्र को नहीं जानता है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्र.6 में साक्षी ने व्यक्त किया है कि यह कहना सही है कि उसने फिल्म को अपलोड करते हुये किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देखा न ही उसने पायरेड फिल्म को किसी भी अधिकृत शासकीय एजेंसी या लैब से पायरेटेड होने के संबंध में टेस्ट करवाया। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्र.7 में व्यक्त किया है कि प्रियंक परदेशी के नाम पर बेवसाईट किसी भी व्यक्ति द्वारा बनाई जा सकती है किंतु कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के खाते से बेवसाईट बनाने हेतु भुगतान नहीं कर सकता है। इस प्रकार साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि टेलीटोरेंट्स बेवसाईट प्रियंक परदेशी द्वारा बनाये जाकर स्वयं का भुगतान गेटवे लिंक किया गया था।

14. राजकुमार अ0सा01 ने परीक्षण के दौरान यह व्यक्त किया है कि जब पायरेसी सेल ने टेलीटोरेंट्स बेवसाईट के सबंध में जानकारी एकत्र की तो पाया कि प्रियंक परदेशी नामक व्यक्ति उक्त बेवसाईट को संचालित

करता है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रं.9 में साक्षी ने व्यक्त किया है कि यह कहना सही है कि उक्त पायेरेटेड फिल्म का किसी लैब से उसके पायरेटेड होने का टेस्ट नहीं कराया गया था। यह कहना सही है कि उसने प्रियंक परदेशी को पायरेटेड फिल्म को अपलोड करते हुये नहीं देखा था।

15. विचारणीय प्रश्न के संबंध में साक्षीगण द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि टेलीटोरेंट्स बेवसाईट का संचालन प्रियंक परदेशी द्वारा किया जा रहा था जिसका पेमेंट गेटवे प्रियंक परदेशी का लिंक था किंतु यह महत्वपूर्ण उल्लेखनीय तथ्य है कि अभिलेख पर ऐसे कोई तथ्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे यह दर्शित हो कि टेलीटोरेंट्स अवैध बेवसाईट का संचालन/निर्माण प्रियंक परदेशी के द्वारा किया गया तथा ऐसे भी कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किये गये है कि उक्त बेवसाईट के माध्यम से प्रियंक परदेशी के द्वारा भुगतान प्राप्त किया गया। ऐसे भी कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा प्रियंक परदेशी एवं अन्य आरोपीगण को उपरोक्त कृत्य करते हुये देखा हो। प्रतिपरीक्षण के दौरान महत्वपूर्ण प्रश्न बचाव पक्ष के द्वारा किया गया कि कथित रूप से पायरेटेड फिल्म का पायरेटेड होने के संबंध में किसी लैब या अन्य किसी संस्था से टेस्ट/परीक्षण नहीं कराया गया। जिससे कि उक्त बाहुबली फिल्म पायरेटेड होने के संबंध में निष्कर्ष अवधारित किया जा सके। उक्त के अभाव में युक्तियुक्त संदहे से परे यह नही कहा जा सकता कि कथित रूप से बाहुबली फिल्म का पायरेटेड किया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि अ0सा01 एवं अ0सा02 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रिंयक परदेशी के द्वारा पूछताछ के दौरान यह बताया गया था कि उसके द्वारा टेलीटोरेंट्स बेवसाईट के माध्यम से अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उक्त बवेसाईट में बाहुबली फिल्म अपलोड की गई थी, किंतु मेमोरेंडम एवं जप्ती के महत्वर्पूण साक्षी नरेन्द्र मिश्रा अ0सा05 द्वारा उपरोक्त तथ्यों का समर्थन नहीं किया है तथा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी अभियोजन कहानी के विपरीत कथन किये हैं। जहां तक अन्य आरोपियों का संबंध है, उक्त तथ्य के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य विद्यमान नहीं है।

16. प्रकरण में विवेचक साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर विद्यमान नहीं है। हस्तगत प्रकरण वर्ष 2015 से लंबित है। न्यायालय द्वारा अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अनन्य अवसर प्रदान किये गये तदोपरांत भी अभियोजन अधिकारी की सक्रियता के बावजूद तामीलकर्ता एजेंसी साक्षीगण को न्यायालय में उपस्थित रखने में असफल रही, जिस कारण वस्तुतः प्रकरण

अपूर्ण साक्ष्य पर आधारित है। फलतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक– 10.07.2015 के पूर्व एक अनाधिकृत रूप से वेबसाईट http://www.tellytorents.com बनाकर उसमें उन फिल्मों को अपलोड कर जो प्रातिलिप्याधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदर्शन हेतु बिना अनुमति के अवैध है, को विभिन्न शहारों में अपने सहयोगियों के माध्यम से अवैध कार्य, अवैध संसाधनों से करवाते हुये अपने वेबसाईट पर सामान्य जनता के लिये अपलोड किया। कम्प्यूटर, मोबाइल तथा फ्लापी से http://www.tellytorents.com के द्वारा लिंक अन्य आरोपीगण को उपलब्ध कराया। कम्प्यूटर कार्यक्रम, कम्प्यूटर प्रणाली नेटवर्क में छेडछाड कर अवैध रूप से FTP वेबसाईट को निर्माण कर उसमें अवैध रूप से फिल्म को अपलोड किया। वेवसाईट पर फिल्म प्रदर्शन किये जाने हेतु विधिक रूप से बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त किये फिल्मों का प्रदर्शन किया। अवैध कार्य को अवैध साधनों से रूपये प्राप्त करने के उद्देश्य से सहमत होते हुये आपराधिक षडयंत्र कारित किया।

17. आपराधिक मामले में अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे साबित करना होता है किंतु इस मामले में अभियोजन साक्ष्य में ऐसे कोई भी तथ्य प्रकट करने में असफल रहा है जिससे अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अंतर्गत कॉपीराईट अधिनियम की धारा 63, 68 जो धारा 63, 38 के तहत दंडनीय है, सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम की धारा 65, सिनेमाग्राफी अधिनियम की धारा 7 एवं धारा 120 बी भा.दं.सं. का अपराध किया जाना दर्शित हो। अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन का मामला संदेह से परे साबित नहीं है। अतः अभियुक्तगण **प्रियंक कुमार परदेशी**, **रिंकू उर्फ जितेन्द्र कुमार मेहता** एवं **तौफीक इस्माइल** को उपरोक्त आरोप अंतर्गत **कॉपीराईट अधिनियम की धारा 63, 68 जो धारा 63, 38 के तहत दंडनीय है, सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम की धारा 65, सिनेमाग्राफी अधिनियम की धारा 7 एवं धारा 120 बी भा.दं.सं.** के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है।

18. अभियुक्तगण के सभी मुचलके तथा जमानत भारमुक्त किये जाते हैं।

19. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति आवेदक/आरोपी को अपील अवधि पश्चात् सुपुर्दगी पर दी जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावे।

20. प्रकरण में यदि विचारण के दौरान अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में रहा हो तो इस संबंध में दं.प्र.सं. की धारा–428 का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

21. प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख, अभिलेखागार भेजा जावे।

जबलपुर, (म.प्र.),
दिनांक–28.11.2025

निर्णय मेरे वक्तव्य एवं निर्देशन पर टंकित।

(किशन देव सिंह पटेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जबलपुर, म.प्र.।

(प्रथम सूचना रिपोर्ट/अपराध का विवरण)

अपराध की तिथि	01.01.2007–18.07.2015
प्र.सू.रि. की तिथि	20.07.2015
आरोप पत्र की तिथि	18.09.2015
आरोपों के विरचना की तिथि	16.02.2016
साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की तिथि	08.02.2017
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तिथि	26.11.2025
निर्णय की तिथि	28.11.2025
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	कुछ नहीं।

अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर रिहा किए जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्त या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	प्रियंक कुमार परदेशी	21.07.2015	27.05.2016	कॉपीराईट अधिनियम की धारा 63, 68 जो धारा 63, 38 के तहत दंडनीय है, सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम की धारा 65, सिनेमाग्राफी अधिनियम की धारा 7 एवं धारा 120 बी भा.दं.सं.	दोषमुक्त	कुछ नहीं	311 दिन
2.	रिंकू उर्फ जितेन्द्र कुमार मेहता	27.07.2015	04.08.2015	कॉपीराईट अधिनियम की धारा 63, 68 जो धारा 63, 38 के तहत दंडनीय है, सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम की धारा 65, सिनेमाग्राफी अधिनियम की धारा 7 एवं धारा 120 बी भा.दं.सं.	दोषमुक्त	कुछ नहीं	09 दिन
3.	तौफीक इस्माइल	27.07.2015	04.08.2015	कॉपीराईट अधिनियम की धारा 63, 68 जो धारा 63, 38 के तहत दंडनीय है, सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम की धारा 65, सिनेमाग्राफी अधिनियम की धारा 7 एवं	दोषमुक्त	कुछ नहीं	09 दिन

				धारा 120 बी भा.दं.सं.			

अभियोजन/ प्रतिरक्षा/ न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन साक्षीः—

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.—1	राजकुमार	साक्षी
अ.सा.—2	मणिन्द्र बाबू	साक्षी
अ.सा.—3	मनोज कुमार	साक्षी
अ.सा.—4	अश्विनी गुप्ता	साक्षी
अ.सा.—5	नरेन्द्र मिश्रा	मेमोरेंडम

अभियेाजन/ प्रतिरक्षा/ न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन :—

सं.क्रं.	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
1.	प्रदर्श पी.—1/अ.सा.—2	शिकायत आवेदन
2.	प्रदर्श पी.—2/अ.सा.—3	आवेदन
3.	प्रदर्श पी.—3/अ.सा.—4	पुलिस कथन
4.	प्रदर्श पी.—4/अ.सा.—5	मेमोरेंडम कथन

KISHAN DEV SINGH PATEL

Digitally signed by KISHAN DEV SINGH PATEL
Date: 2025.11.28 17:22:01 +0530

(किशन देव सिंह पटेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
जबलपुर, म.प्र.।